



कार्यालय

आयकर आयुक्त

आयकर भवन, छावनी, औरंगाबाद

पंजीकरण प्रमाणपत्र

(क्रमांक 175 / 21/ 2010-11)

आई जनहित बहुउद्येशीय सेवाभावी संस्था, पाटसरा, ता. आष्टी, जि. बीड़ ने, जैसा कि संगठन के दिनांक 22/02/2007 की ट्रस्ट, डीड/ज्ञापन द्वारा उसका गठन किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA(1) के तहत पंजीकरण हेतु निर्धारित फार्म सं-10(A) में दिनांक 13/04/2010 को एक आवेदनत्र दाखिल किया है। अतः ट्रस्ट/संस्था का नाम आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद में रखे गए ट्रस्ट/संस्था के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

1. यह पंजीकरण दिनांक 01/04/2010 से प्रभावी होगा।
2. पंजीकरण सं.औ./आ.आ./12AA(1)/ 175 / 21/ 2010-11 है।



Sd/-

(डॉ. ओ. पी. ककरालिया)

आयकर आयुक्त, औरंगाबाद

सं. औ/आ.आ./प्रशा./12AA(1)/ 175/21 /2010-11

दिनांक- 28/10/2010

प्रतिलिपि प्रेषित -

1. आवेदक को उसके आवेदन पत्र दिनांक 13/04/2010 के संदर्भ में। इस प्रमाणपत्र से ट्रस्ट को कोई भी दानदाता धारा 80G(5) के अंतर्गत छूट का हकदार नहीं होता है, उसके लिए धारा 80G(5) के अंतर्गत अलग से दूसरा प्रमाणपत्र जरूरी है।
2. आयकर निर्धारण अधिकारी वार्ड 2(4), बीड़ को इस उद्देश्य हेतु जो रजिस्टर बनाया गया है, उसमें इस ट्रस्ट/संस्था का नाम नोट कर लिया जाए। इसकी कर योग्यता या अन्य किसी बात की जांच पडताल की जाए एवं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।
3. अतिरिक्त आयकर आयुक्त, रेंज-2, औरंगाबाद।

(एस. एस. चिन्तावार)

आयकर अधिकारी (मुख्या)(तक.),

कने आयकर आयुक्त. औ.बाद.



कार्यालय
आयकर आयुक्त
आयकर भवन, छावनी, औरंगाबाद

सं. औ/आ.आ./प्रशा./80G(5)/ 175/21/2010-11/

दिनांक : 28/10/2010

आदेश

[आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G(5)]

एतद्वारा आई जनहित बहुउद्येशीय सेवाभावी संस्था, पाटसरा, ता. आष्टी, जि. बीड़ संस्था को उनके दिनांक 13/04/2010 के आवेदनपत्र के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G(5) के तहत पंजीकृत किया जाता है।

2. तदनुसार इस संस्था को दिया जाने वाला दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G(5) के अंतर्गत, दानदाता के पक्ष में छूट मिलने का पात्र होगा।
3. यह आदेश दिनांक 13/04/2010 से लागू रहेगा।



Sd/-

(डॉ. ओ. पी. ककरालिया)
आयकर आयुक्त, औरंगाबाद.

सं. औ/आ.आ./प्रशा./80G(5)/ 175/21 /2010-11

कार्यालय
आयकर आयुक्त, औरंगाबाद,
दिनांक : 28/10/2010

प्रतिलिपियां प्रेषित -

1. अतिरिक्त आयकर आयुक्त, रेंज-2, औरंगाबाद।
2. कर निर्धारण अधिकारी, वार्ड - 2(4), बीड़।
3. उपरोक्त संस्था को, उसके मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य अधिकारी के मार्फत।